दिनांक 08.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टी0एफ0–थाना परसपुर, जनपद गोण्डा पर पंजीकृत धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार अमृतसर, पंजाब से गिरफ्तार।

दिनांकः 08–07–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना परसपुर, जनपद गोण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 30/2025 धारा– 420/467/468/471/504/506/406 भादवि में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार पुत्र भूपिन्दर सिंह निवासी बसारके, थाना खालड़ा, तहसील पट्टी, जनपद तरन तारन, पंजाब अस्थायी पता–प्रेम विला, मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी का विवरण :–

01. 01 अदद मोबाइल फोन
02. 01 अदद आधार कार्ड
03. नकद 2000 रू0

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :–

पार्वती अस्पताल के पास ए–ब्लाक, थाना क्षेत्र रन्जीत एवन्यू अमृतसर सिटी, पंजाब दिनांकः 08–07–2025, समय 14:20 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस

उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज टीम द्वारा थाना परसपुर, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0: 30/2025 धारा– 420/467/468/471/504/506/406 भादवि में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार अमृतसर सिटी, पंजाब में कहीं छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री गुलजार सिंह, मुख्य आरक्षीगण रोहित सिंह, पंकज तिवारी, अजय कुमार यादव व मुख्य आरक्षी चालक रामलखन पाल की टीम द्वारा पार्वती अस्पताल के पास ए–ब्लाक, थाना क्षेत्र रन्जीत एवन्यू अमृतसर सिटी, पंजाब से अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह मूलरूप से ग्राम बसारके थाना खालड़ा तहसील पट्‌टी, जनपद तरन तारन, पंजाब का रहने वाला है, जिसका फर्जी दस्तावेज तैयार करने, पैसे को दोगुना करने का प्रलोभन देकर पैसा हड़पने/धोखाधड़ी आदि करने का एक संगठित गिरोह है। उक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा जनपद गोण्डा, लखनऊ व बाराबंकी में भी आम जनमानस से भी इस तरह की घटनाएं कारित की गयी, जिनके विरूद्ध विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्ष 2021 में सुनील कुमार द्विवेदी पुत्र श्री ब्रहम प्रकाश द्विवेदी निवासी ग्राम आटा दूबेपुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा अस्थाई पता–ई 3/260 विराम खण्ड–3, गोमतीनगर, लखनऊ की मुलाकात उसके साथी चन्दन दीक्षित पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दीक्षित निवासी चरखारी मंदिर रामघाट जनपद चित्रकूट से करनैलगंज बाजार, जनपद गोण्डा में हुई थी। उक्त गैंग के सदस्य चन्दन दीक्षित के मित्र मनीष ओझा जिला बलरामपुर के निवासी हैं, जिनका कई जगह मौरंग व बालू खनन का पट्टा हैं, जिसकी देखरेख व पैसा लगवाने का काम चन्दन दीक्षित द्वारा किया जाता है। वह अपने साथी मदन गुप्ता के साथ मिलकर रेलवे स्क्रैप का कई प्रदेशों में ठेका लेता है,

जिसकी भोपाल में सरिया की फैक्ट्री है। उक्त तीनों लोग मिलकर जिला फतेहपुर में खदान के मिलने सम्बन्धी फर्जी प्रपत्र दिखाकर धोखाधड़ी करते हुए 10 प्रतिशत की साझेदारी के नाम पर और अच्छा मुनाफा देने हेतु सुनील कुमार द्विवेदी से 50 लाख रूपया लिया गया था, जिसे एग्रीमेन्ट के मुताबिक पैसा नही दिया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में सुनील कुमार द्विवेदी द्वारा थाना परसपुर, जनपद गोण्डा में तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पंजाब चला गया और बाद में उसे जानकारी हुई कि 50,000/-रू0 का पुरस्कार भी घोषित हो चुका है, जिसके बाद से वह इधर-उधर लुक छिपकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार उपरोक्त को थाना परसपुर, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 : 30/2025 धारा- 420/467/468/471/504/506/406 भादवि में गिरफ्तार कर थाना रन्जीत एवन्यू अमृतसर सिटी, पंजाब में दाखिल किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अमृतसर के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :-

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	290/2024	406/419/420/467/468/471 भादवि	इटिया थोक	गोण्डा
2	13/2024	406/420/467/468/506/34 भादवि	साइबर क्राइम	बाराबंकी
3	231/2024	406/419/420/467/468/471 भादवि	इन्दिरा नगर	लखनऊ
4	201/2024	406/420/467/468/471/504/506 भादवि	गोमती नगर विस्तार	लखनऊ
5	30/2025	420/467/468/471/504/506/406 भादवि	परसपुर	गोण्डा

एस0टी0एफ0–अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 03 अभियुक्तों को 32 अदद अवैध तमंचे 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

आज दिनांक 08–07–2025 को थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ क्षेत्र सें अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 03 व्यक्तियों को मय 32 अदद तमंचे 315 बोर व भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– बबलू पुत्र हाशिम निवासी गली नम्बर 04 मौलाना आजाद नगर, थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ। उम्र 46 वर्ष।

2– अरशद पुत्र हशमत मूल निवासी मोहल्ला शिवपुरी छर्रा, थाना छर्रा, जनपद अलीगढ़। मूल पता वहीद नगर, थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़। उम्र 44 वर्ष।

3– मनोज सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी धनीपुर कौल, थाना महुआखेड़ा, जनपद अलीगढ़।

बरामदगी–

1– 32 अदद तमंचे 315 बोर अवैध

2– 06 अदद तमंचे अर्धनिर्मित

3– 34 अदद बैरल

4– 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

5– 03 अदद हॉफ बाडी पीतल

6– 02 अदद ठिया क्रमशः प्रथम ठिया पर 01 अदद वर्मा व 02 अदद बांक लगे है, दूसरे ठिया पर 01 अदद बर्मा व 01 अदद बांक लगा है,

7– 06 अदद छोटे–बड़े पाना,

8– 11 अदद छोटी–बड़ी चाबी,

9– 23 अदद छोटी–बड़ी रेती,

10– 01 अदद वेल्डिंग मशीन MBI नीला रंग ,

11– 03 अदद गटका ध्बट्टा लोहा बड़े व 01 अदद गटका लोहा छोटा,

12– 07 अदद छोटे–बड़े प्लास ,

13– 12 अदद छोटी–बड़ी आरी पत्ती,

14– 06 अदद छोटी–बड़ी हथौड़ी,

15– 02 अदद ग्राइन्डर मय ब्लेड,

16– 04 अदद ग्राइन्डर ब्लेड,

17– 06 अदद छोटे–बड़े पेचकस,

18– 01 अदद चिमटी स्टील,

19– 06 अदद छोटे–बड़े स्प्रिंग,

20– 161 अदद पीतल स्लाईडर/खटका ,

21– 05 अदद हैमर पीतल के,

22– 08 अदद ट्रिगर पीतल के,

23– 06 अदद इजेक्टर पीतल के ,

24– 03 अदद आरी लोहा मय ब्लेड व 01 अदद छोटी आरी मय ब्लेड

25– 06 अदद साइड लॉक पीतल के,

26– 10 अदद लकड़ी की चाप,

27– 02 अदद छैनी,

28– 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बोर नापने हेत ,

29– 02 अदद लोहे के बारीक छोटे–बड़े तारों के बण्डल

30– 02 अदद मोबाइल फोन कीपैड व 01 अदद स्मार्टफोन ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

मौलान आजाद नगर गली नम्बर 04 में दाहिनी तरफ अन्तिम मकान, थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़। समय– 16:20 । दिनांकः 08–07–2025

एसटीएफ द्वारा पूर्व में शस्त्र तस्करों व अवैध रूप से शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले गिरोहों के विरूद्ध समय–समय पर कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में विभिन्न टीमों/ इकाइयों को अभिसूचना संकलन व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 अमित कुमार के नेतृत्व में मु0आ0 रामजी लाल,मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल, मु0आ0 शिवओम पाठक, मु0आ0 अरूण, आरक्षी संजय यादव व मु0आ0 कमाण्डो खान मोहम्मद की एक टीम जनपद अलीगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थी तो ज्ञात हुआ कि अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाने वाले कुछ लोग थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ क्षेत्रान्तर्गत मौलाना आजाद नगर गली नम्बर 04 में दाहिनी तरफ अन्तिम मकान में मौजूद हैं व अवैध शस्त्र बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुँच कर एक बारगी दबिश दी गयी, जहां से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

पूछताछ में अभियुक्तगण बबलू व अरशद द्वारा सामूहिक रूप से बताया गया कि हम दोनों मिलकर अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री काफी लम्बे समय से चला रहै हैं। अवैध फैक्ट्री में अवैध शस्त्र बनाने में हम आधुनिक यंत्रो जैसे– वेल्डिंग मशीन, उन्नत किस्म का वर्मा, इत्यादि उपयोग करते हैं। हम प्रतिदिन 25–30 अवैध तमंचे 315 बोर के बनाते हैं, जिसे मनोज उपरोक्त व सलीम निवासी पलवल हमसे खरीदकर दिल्ली, एन0सी0आर, हरियाणा आदि राज्यों में बेचते है, जिसमें हमे काफी मुनाफा होता है।

मनोज उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं बबलू व अरशद से अवैध तमंचे 315 बोर खरीदकर पलवल निवासी सलीम को व दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा आदि राज्यों में अपने एजेण्टो के माध्यम से सप्लाई करता हूँ।

उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ पर मु0अ0सं0–00/2025 धारा 3/5/25 पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी ।

<u>अभियुक्त अरशद का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–</u>

1– मु0अ0सं0–382/18 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना अतरौली, जनपद अलीगढ।

2– मु0अ0सं0– 426/18 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना अतरौली, जनपद अलीगढ।

3– मु0अ0सं0– 488/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अतरौली, जनपद अलीगढ़।

4– मु0अ0सं0–1150/2018 धारा 380,457 भादवि थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ।

<u>अभियुक्त मनोज का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–</u>

1– मु0अ0सं0–232/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गुन्नौर, जनपद सम्भल।

2– मु0अ0सं0–219/14 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना अवागढ, जनपद एटा।

3– मु0अ0सं0–225/14 धारा 21, 22 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम थाना अवागढ, जनपद एटा।

4– मु0अ0सं0–226/14 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना अवागढ, जनपद एटा

5– मु0अ0सं0–465/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना रकाबगंज, कमिश्नरेट आगरा।

जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेड़ी

- **पुलिस कार्यवाही में 50–50 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07/08.07.2025 को थाना गागलहेड़ी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरौड़ा कट हाईवे से यमुनानगर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–प्रमोद उर्फ रामकरण 2–सोमवीर उर्फ मोनू घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रमोद उर्फ रामकरण के विरूद्ध जनपद सहारनपुर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त सोमवीर उर्फ मोनू के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रमोद उर्फ रामकरण निवासी ग्राम राजौन्द थाना राजौन्द जनपद कैथल हरियाणा।

2–सोमवीर उर्फ मोनू निवासी ग्राम राजौन्द थाना राजौन्द जनपद कैथल हरियाणा।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना लोटन

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07/08.07.2025 को थाना लोटन, थाना मोहाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महदेईया मोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सिराजुद्दीन उर्फ बबलू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती, महराजगंज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद सिद्धार्थनगर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोटन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सिराजुद्दीन उर्फ बबलू निवासी वर्डपुर गोसाईगंज थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07.07.2025 को थाना फेस–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे के नीचे तिगाव कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना फेस–2 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी ग्राम समयपुर थाना सेक्टर–58 जनपद फरीदाबाद।

जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.07.2025 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बढ्ढा नहर पुल से ग्राम नया बांस की तरफ रास्ते में चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गुल्लू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिम्भावली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुल्लू निवासी ग्राम शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट आगरा/थाना फतेहाबाद

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 28 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.07.2025 को थाना फतेहाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गटपुरा की पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–अनुज 2–जानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 28 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनुज निवासी प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

2—जानू निवासी प्रकाश नगर थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 28 हजार रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 208 बैट्री**
- **01 पिकअप, 01 डीसीएम वाहन बरामद**

दिनांक 08.07.2025 को थाना गौरीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पड़री सम्भावा रोड से 03 अभियुक्तों 1—सद्दाम 2—मकसूद उर्फ दुन्ने 3—दीपांशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 208 बैट्री, 01 पिकअप, 01 डीसीएम वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सद्दाम के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त मकसूद उर्फ दुन्ने के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सद्दाम निवासी पूरे कुरैशी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

2—मकसूद उर्फ दुन्ने निवासी पूरे कुरैशी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

3—दीपांशू निवासी पूरे बेनीदीन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—चोरी की 208 बैट्री।

2—01 पिकअप, 01 डीसीएम वाहन।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना नॉलेजपार्क

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध ड्रग्स बरामद**

दिनांक 07.07.2025 को थाना नॉलेजपार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुर्जरपुर रेलवे अण्डरपास के पास से 04 अभियुक्तों 1—रोहित कुमार 2—नकुल 3—कृष्ण 4—लवकुश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध ड्रग्स बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नॉलेजपार्क पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित कुमार निवासी खुर्शेदपुरा थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—नकुल निवासी वीरपुरा थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3—कृष्ण निवासी खुर्शेदपुरा थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4—लवकुश निवासी खुर्शेदपुरा थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध ड्रग्स।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना रामचन्द्र मिशन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रामचन्द्र मिशन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/452

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मोहम्मद दाऊद को आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना हरदी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हरदी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/324/394/411 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सिद्धनाथ 2–दीनानाथ को सश्रम आजीवन कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना बिधूना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना बिधूना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(1)/366/363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शीलू को सश्रम आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––